

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2014

जयपुर, दिनांक : 03 मार्च, 2015

स्पष्टीकारक पत्र

विषय :- राजकीय व्यय में मितव्ययता।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19 फरवरी, 2015 के बिन्दु 2 "समानुपातिक व्यय" के द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में बजट प्रावधानों के एक तिहाई (33%) से अधिक का व्यय नहीं करने तथा मार्च माह में बजट प्रावधानों के 15% की सीमा से अधिक व्यय नहीं किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजकीय व्यय में मितव्ययता हेतु जारी उक्त दिशा-निर्देश आयोजना भिन्न (Non Plan) व्ययों पर ही लागू होंगे। विभागों द्वारा किए जाने वाले आयोजना व्यय पर यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा।

सिद्धार्थ-

(सिद्धार्थ महाजन)  
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण/ राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग), राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
10. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को पांच अतिरिक्त प्रतियाँ सहित।
11. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग।

website पर स. स. (अन्तिम कोशिका)  
विशेष सचिव

कृ.पृ.उ.